

# हिमाचल में एस.टी. वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 90 फीसदी किया

धर्मशाला, 9 अक्टूबर (ब्यूरो): प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा-2027 के प्रॉस्पैक्टस में बड़ा बदलाव करते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है।

जारी संशोधित व्यवस्था के अनुसार अब प्रदेश में एस.टी. वर्ग के अभ्यर्थियों को 80 प्रतिशत की बजाय 90 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। बोर्ड द्वारा इस संबंध में आधिकारिक तौर पर शुद्धिपत्र जारी कर दिया है।

प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि ई.एम.आर.एस.एस.टी.-2027 के प्रॉस्पैक्टस और विज्ञापन की धारा 9.4(1) में संशोधन किया है। प्रदेश

में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह तथा डी.एन.टी., एन.टी. और एस.एन.टी. समुदायों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण, इन श्रेणियों के लिए निर्धारित कुल 10 प्रतिशत आरक्षण को अब एस.टी. वर्ग में समायोजित कर दिया है।

इसके साथ ही, वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं, कोविड-19 महामारी या अन्य निर्दिष्ट परिस्थितियों में माता-पिता को खोने वाले बच्चों, दिवंगत विधवाओं के बच्चों और दिव्यांग माता-पिता के बच्चों के लिए संयुक्त रूप से 7 प्रतिशत, जबकि भूमि दानदाताओं के बच्चों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया है। कुल 60 सीटों में से 5 प्रतिशत सीटें बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।

# एकलव्य स्कूलों में एसटी वर्ग के लिए 90 फीसदी सीटें आरक्षित

**दिव्य हिमाचल ब्यूरो— धर्मशाला**

**पांच फीसदी दिव्यांगों के लिए**

हिमाचल प्रदेश में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में दाखिले की राह अब अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के बच्चों के लिए और आसान हो गई है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा-2027 के तहत एसटी वर्ग को अब 80 के बजाय 90 प्रतिशत प्रभावी आरक्षण मिलेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आठ अक्तूबर को शुद्धिपत्र जारी कर प्रॉस्पेक्टस की आरक्षण व्यवस्था में यह संशोधन किया है। इससे संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर आरक्षण का वितरण नए सिरे से तय किया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि ईएमआरएसएसटी-2027 के प्रॉस्पेक्टस/विज्ञापन की धारा 9.4(1) में संशोधन किया गया है। प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह और डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। इसी कारण इन श्रेणियों के लिए तय कुल 10 प्रतिशत आरक्षण एसटी वर्ग में समायोजित किया जाएगा, जिससे एसटी वर्ग का प्रभावी आरक्षण 90 प्रतिशत हो जाएगा। संशोधित व्यवस्था में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं, कोविड-19 तथा अन्य निर्धारित

कुल 60 सीटों में से पांच प्रतिशत सीटें बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। भूमि दानदाता कोटे के तहत पात्र अभ्यर्थी को उसी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में प्रवेश मिलेगा, जिसके लिए दानदाता ने भूमि दान की है। ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर से जुड़े प्रावधान भी संशोधित तालिका में शामिल किए गए हैं।

परिस्थितियों में माता-पिता को खोने वाले बच्चों, दिवंगत विधवाओं के बच्चों, दिव्यांग माता-पिता के बच्चों और अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए संयुक्त रूप से सात प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। वहीं भूमि दानदाताओं के बच्चों के लिए तीन प्रतिशत सीटें निर्धारित की गई हैं। बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार, ये प्रावधान संशोधित आरक्षण तालिका के अनुसार लागू होंगे। शुद्धिपत्र में किए गए संशोधनों के अलावा प्रॉस्पेक्टस और विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। उन्होंने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि आवेदन से पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध शुद्धिपत्र और प्रॉस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें।

# अनसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को मिलेगा 90 प्रतिशत आरक्षण

**जगरण संवाददाता, धर्मशाला :**  
एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा-2027 के तहत प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के विद्यार्थियों को 80 के बजाय 90 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा के प्रोस्पेक्टस व विज्ञापन में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था को संशोधित कर शुद्धिपत्र जारी किया है। इस बदलाव से प्रदेश में संबंधित श्रेणियों के विद्यार्थियों की उपलब्धता के आधार पर आरक्षण निर्धारित किया है।

बोर्ड के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा के प्रोस्पेक्टस में आरक्षण को लेकर संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह तथा डीएनटी/एनटी/एसएनटी समुदायों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने से इन श्रेणियों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण को एसटी वर्ग में समायोजित किया जाएगा। इससे एसटी वर्ग के लिए आरक्षण 90 प्रतिशत हो जाएगा।

संशोधित व्यवस्था के तहत वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं, कोविड-19 व निर्धारित अन्य परिस्थितियों में माता-पिता को खोने वाले बच्चों, विधवाओं के बच्चों, दिव्यांग माता-पिता के बच्चों व अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए संयुक्त रूप से सात

- एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा-2027 के तहत बच्चों को मिलेगा लाभ
- बोर्ड ने परीक्षा के प्रोस्पेक्टस में निर्धारित आरक्षण को संशोधित कर शुद्धिपत्र किया जारी



प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान है।

भूमि दान देने वालों के बच्चों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया है। इन श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रविधान संशोधित आरक्षण तालिका के अनुसार लागू होंगे। 60 सीटों में से पांच प्रतिशत सीटें बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। भूमि दानदाता कोटे के तहत पात्र विद्यार्थी को उसी एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए संबंधित दानदाता ने भूमि दान की है। आरक्षण में ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर से जुड़े प्रविधान भी संशोधित तालिका में शामिल किए हैं। शुद्धिपत्र के माध्यम से किए गए संशोधनों के अलावा प्रास्पेक्टस व विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।

# एकलव्य विद्यालय चयन परीक्षा में एसटी वर्ग को 90% आरक्षण भूमि दानदाताओं के बच्चों के लिए परीक्षा में तीन फीसदी आरक्षण किया गया निर्धारित

धर्मशाला। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा-2027 में हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के अभ्यर्थियों को अब 90 फीसदी प्रभावी आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहले एसटी वर्ग के लिए 80 फीसदी आरक्षण निर्धारित था। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रॉस्पेक्टस की आरक्षण व्यवस्था में संशोधन करते हुए शुद्धिपत्र जारी किया है।

अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि प्रॉस्पेक्टस और विज्ञापन की धारा 9.4(1) में संशोधन किया गया है। प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह और डीएनटी, एनटी, एसएनटी श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण इन वर्गों के लिए निर्धारित 10 फीसदी आरक्षण एसटी वर्ग में समायोजित किया जाएगा।

इससे एसटी वर्ग का प्रभावी आरक्षण बढ़कर 90 फीसदी हो जाएगा। संशोधित व्यवस्था के तहत विभिन्न विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त रूप से सात फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। ब्यूरो



## दो माह से वेतन लंबित, विधानसभा अध्यक्ष के आश्वासन से उम्मीद

धर्मशाला। 20 महाविद्यालयों में कार्यरत व्यवसायिक प्रशिक्षकों को दो माह से लंबित वेतन जल्द मिलने की उम्मीद जगी है। हिमाचल प्रदेश व्यवसायिक प्रशिक्षक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से चंबा में मुलाकात कर वेतन जारी करने का मुद्दा उठाया। विधानसभा अध्यक्ष ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर लंबित वेतन जारी करवाने के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। महासंघ ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि दो माह से वेतन नहीं मिलने के कारण प्रशिक्षकों को आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। घर का खर्च चलाने, कमरों का किराया चुकाने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मुश्किलें आ रही हैं। ब्यूरो

**Himachal Dastak Dt. 10-10-2026**

## **हिमाचल में ईएमआरएसएसटी-2027 के तहत एसटी वर्ग को मिलेगा 90 प्रतिशत आरक्षण**

**धर्मशाला।** एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा (ईएमआरएसएसटी)-2027 के तहत हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब प्रदेश में एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को 80 प्रतिशत के बजाय 90 प्रतिशत प्रभावी आरक्षण का लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा के प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था को संशोधित करते हुए 8 अक्टूबर को शुद्धिपत्र जारी किया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि ईएमआरएसएसटी-2027 के प्रॉस्पेक्टस/विज्ञापन की धारा 9.4(1) में आरक्षण व्यवस्था को लेकर संशोधन किया गया है। प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) तथा डीएनटी / एनटी/ एसएनटी समुदायों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण इन श्रेणियों के लिए निर्धारित कुल 10 प्रतिशत आरक्षण को एसटी वर्ग में समायोजित किया जाएगा। संशोधित व्यवस्था के तहत वामपंथी उठावाद (एलडब्ल्यूई) की घटनाओं, कोविड-19 तथा निर्धारित अन्य परिस्थितियों में अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों, दिवंगत विद्यार्थियों के बच्चों, दिव्यांग माता-पिता के बच्चों और अन्य निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए संयुक्त रूप से 7 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार, इन श्रेणियों के लिए निर्धारित प्रावधान संशोधित आरक्षण तालिका के अनुसार लागू होंगे। डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि कुल 60 सीटों में से 5 प्रतिशत सीटें बेचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।

# **ST Category to Receive 90% Reservation under EMRSST-2027 in Himachal: Dr. Rajesh Sharma**



**SANJAY AGGARWAL**

**DHARAMSHALA OCT 9 :** The scope of reservation for Scheduled Tribe (ST) category candidates in Himachal Pradesh has been expanded under the Eklavya Model Residential School Selection Test (EMRSST)-2027. Candidates belonging to the ST category in the state will now receive the benefit of 90 percent effective reservation, up from the previous 80 percent. The Himachal Pradesh Board of School Education issued a corrigendum on October 8, 2026, revising the reservation structure outlined in the examination prospectus. This change entails a redistribution of reservation quotas based on the availability of candidates from the respective categories within the state. Dr. Rajesh Sharma, Chairman of the Himachal Pradesh Board of School Education, stated that an

amendment regarding the reservation system has been made to Clause 9.4(1) of the EMRSST-2027 prospectus/advertisement. Due to the unavailability of candidates from the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) and DNT/NT/SNT communities in the state, the total 10 percent reservation originally allocated to these categories will be subsumed into the ST category. Consequently, the effective reservation for the ST category will rise to 90 percent. Under the revised arrangement, a combined 7 percent reservation is provided for children who lost their parents due to Left-Wing Extremism (LWE) incidents, COVID-19, or other specified circumstances, as well as for children of deceased widows, children of differently-abled parents, and those in other designated categories. Additionally, a 3 percent reservation has been allocated for the children of land donors. According to the Board Chairman, the provisions for these categories will be implemented in accordance with the revised reservation table. Dr. Rajesh Sharma further noted that 5 percent of the total 60 seats would be reserved for children with benchmark disabilities. Under the land donor quota, an eligible candidate will be granted admission to the specific Eklavya Model Residential School for which the concerned donor contributed the land. Provisions regarding the distribution of reservations at the block, district, and state levels have also been included in the revised table. The Board Chairman clarified that, apart from the amendments made via the corrigendum, all other terms and conditions of the prospectus and advertisement remain unchanged. He urged candidates and parents to carefully study the corrigendum and the relevant prospectus available on the Himachal Pradesh Board of School Education's official website ([www.hpbose.org](http://www.hpbose.org)) before applying for EMRSST-2027, so that there is no confusion regarding the revised reservation system and admission rules.

# The Sunny Times

## ST STUDENTS BAG 90% SEATS IN HIMACHAL EKLAVYA SCHOOLS

*The Sunny Times | Dharamshala |*

Scheduled Tribe students in Himachal Pradesh have just landed a massive advantage for admission into Eklavya Model Residential Schools, with their effective reservation soaring from 80% to a whopping 90%.

The dramatic shift comes after the Himachal Pradesh Board of School Education amended the EMRS Selection Test (EMRSST) 2027 rules via an official corrigendum on October 8. According to Board Chairman Dr. Rajesh Sharma, the state faced an outright shortage of eligible candidates under the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) and Denotified/Nomadic/Semi-Nomadic Tribes (DNT/NT/SNT) quotas. Rather than letting that 10% slice of seats sit vacant, the board rolled it directly into the general ST pool, driving their seat share up to 90%.

The remaining 10% slice covers specific priority groups. A combined 7% goes to children facing exceptional hardship, including those orphaned by COVID-19 or Left-Wing Extremism, children of deceased widows, and wards of parents with disabilities. Another 3% is set aside for the children of land donors, who get admitted straight into the specific school built on their contributed land. Across the standard batch of 60 seats, 5% is horizontally reserved for students with benchmark disabilities.

With the rulebook rewritten, board officials are urging parents and applicants to head to [hpbose.org](http://hpbose.org) and review the updated reservation breakdown before filing their applications, while noting that all other testing criteria remain untouched.

